पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय भा.ति.सी.पु.,करैरा
P M SHRI KENDRIYA VIDYALAYA I.T.B.P.,KARERA
TEH.-KARERA, DISTT.-SHIVPURI(M.P)-473667
(MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA)
PHONE NUMBER 07493-299055, 299057
Website: https://itbpkarera.kvs.ac.in
E-mail: ppl.kareraitbp@kvs.gov.in
principalkvitbp@gmail.com
CBSE Affiliation No. -1000036 STATION CODE-067
CBSE SCHOOL NO-054128 KV CODE-1117

पत्रांक: फा.सं 054128 / अनु.जाति/अनु.जन जाति/ शिकायत निवारण प्रकोष्ठ / के.वि.क /2023-24 /460 दिनांक 06/01/2024

## अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के कार्मिको की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय),नई दिल्ली के पत्रांक : फा.सं.एफ 11014-02/2008/KVS(HQ)/Admn-1/1451 दिनांक 01/04/08, समसंख्यक NO.11-Adm1014(SND)/01/2020-Admn-I/1264 दिनांक 11.12. 2020 एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 159 के अनुपालन में इस विद्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति श्रेणी से संबंधित कार्मिको की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार किया जाता है –

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति कल्याण/ शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

| क्र. सं. | नाम | पद नाम | पता ,मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी | समिति में धारित पद | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती रश्मि सिंह | पीजीटी(कंप्यूटर साइंस) | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करैरा 9335264085 simuashi@gmail.com | संयोजक & संपर्क अधिकारी | उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठ विद्यालय में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति श्रेणी के पदस्थ सभी वर्ग के कर्मचारीयों के जन कल्याण हित व उनकी शिकायतों का निपटान हेतु कार्य करेगा। |
| 2 | सुश्री सायरा परवीन | पीजीटी (वाणिज्य ) | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करैरा 8317021675 sairap02@gmail.com | सदस्य | |
| 3 | श्री विक्रम सिंह | पीजीटी ( गणित ) | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करैरा 9717254717 vsjvsj.vv7@gmail.com | सदस्य | |
| 4 | श्री दान सिंह कार पेंटर | पीआरटी | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करैरा 8358043612 dansinghkarpentar00@gmail.com | सदस्य | |

समिति के संयोजक श्रीमती रश्मि सिंह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कार्मिको की शिकायतों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगी।

06/01/2024

(डॉ दर्शन लाल मीना)
प्राचार्य
प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
भा० ति० सी० पु०/I.T.B.P.
करैरा/KARERA

अनुमोदित है/~~अनुमोदित नहीं है~~।

अध्यक्ष, वि.प्र.स.

## अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति कल्याण/ शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की शक्तियां एवं कर्तव्य:

1. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ /समिति की नियमित अंतराल मे बैठकें आयोजित करनी होती है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की तात्कालिकतानुसार शीघ्र बैठक का आयोजन किया जाना होता हैं।

2. यह शिकायत समिति / शिकायत निवारण प्रकोष्ठ इस विद्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारीयों के कल्याण के लिए कार्य करेगी | उक्त समिति केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 160 में निहित कर्तव्यो , दिशा- निर्देशों एवं कार्यो से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करेगी |

3. एससी/एसटी आयोग/ शिक्षा मंत्रालय /प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा संदर्भित सभी शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए संपर्क और निगरानी करेंगी |

4. केवीएस मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय ,भोपाल के शिकायत निवारण अधिकारी के साथ संपर्क बनाए रखना और उन्हें आवश्यक जानकारी की आपूर्ति, प्रश्नों का उत्तर देने और संदेह दूर करने के लिए सहयोग करना |

5. यदि शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए अनुरोध किया जाता है, तो समिति के संयोजक पीड़ित एससी/एसटी कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी कर सकते हैं।

## संपर्क अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को स्वीकार्य आरक्षण आदेशों और लाभों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थीयों के लिए भी उनकी समस्याओ को सुनकर उनका समाधान करना |
2. आरक्षण रोस्टर का अनुपालन तथा आरक्षण के उचित कार्यान्वयन की जांच करना और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ईमानदारी से उठाए गए सभी प्रयासों और निर्धारित कदमों के बाद उचित संतुष्टि के बाद प्रमाणित करना कि ऐसे आरक्षण अपरिहार्य हैं।
3. केवीएस मुख्यालय एवं केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के शिकायत निवारण अधिकारी / संपर्क अधिकारीयों के साथ संपर्क बनाए रखना और आवश्यक जानकारी की आपूर्ति, प्रश्नों का उत्तर देने और संदेह दूर करने के लिए सहयोग करना |
4. बनाए गए रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करना और ऐसे निरीक्षण का रिकॉर्ड रखना।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को आवश्यक सहायता प्रदान करना
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को उनकी नियुक्तियों /पदोन्नतियो तथा अनुबंधित/ संविदा आधारित कर्मचारीयों की नियुक्तियों एवं अन्य मामलो के संबंध में वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क अधिकारी से मिलना चाहते हैं और उन्होंने यदि कोई गलती की हो तो उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाकर उनका सहोग प्रदान करना |
7. इस विद्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारीयों के कल्याण के लिए कार्य करना | केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 160 में निहित कर्तव्यो , दिशा- निर्देशों एवं कार्यो से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना |
8. संपर्क अधिकारी शिक्षा सहिंता के अनुच्छेद 159 में दर्शाए गए निदेशो एवं कार्यो का निर्वहन करेंगे | इस समिति के द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति के विद्यार्थीयों के प्रवेश एवं रोज़गार में आरक्षण सहित अन्य सुविधाओ का लागू होना भी सुनिश्चित करना है

06/01/2024

( डॉ.दर्शन लाल मीना )
प्राचार्य
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी ,करेरा

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
करेरा/KERERA

वितरण :

1. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के संयोजक एवं संपर्क अधिकारी एवं संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक